प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 28 जुलाई, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अनिल पुत्र श्री रामकिशोर, निवासी जनपद-मेरठ की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0) कारागार के पत्र संख्या-705/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-31.12.2024), दिनांक-07.01.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अनिल पुत्र श्री रामकिशोर, जो पूढी, थाना-परीक्षितगढ, जनपद-मेरठ का निवासी है। प्रथम घटना-पूर्व में हुयी हत्या के बदले की रंजिश को लेकर दिनांक 04.09.1991 को बन्दी ने अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चों से गोली मारकर महेश चंद नामक व्यक्ति की हत्या कर दी तथा मृतक के पुत्र विकास का अपहरण कर गला दबाकर हत्या कर दी।

द्वितीय घटना-मुकदमेबाजी की पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 19.10.1990 को बन्दी ने अपने 11 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चे से गोली मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु सिद्धदोष बन्दी को (1) सत्र परीक्षण संख्या-896/1993 में भा0द0वि0 की धारा-364, 302/34, 201 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, मा० न्यायालय एकादश अपर सेशन जज, मेरठ के आदेश दिनांक 26.02.2000 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा० उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। (2) सत्र परीक्षण संख्या-750/1995 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 302/149 में मा० न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-11, मेरठ के आदेश दिनांक 04.08.2012 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। प्रथम केस में बन्दी द्वारा दिनांक 05.12.2024 तक अपरिहार 29 वर्ष, 06 माह, 18 दिन तथा सपरिहार 37 वर्ष, 01 माह, 23 दिन की सजा भोगी गयी है। द्वितीय केस में बन्दी द्वारा दिनांक 05.12.2024 तक अपरिहार 17 वर्ष, 02 माह, 10 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष, 02 माह, 10 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा किया गया अपराध जो समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने तथा भागने से इन्कार नहीं किया जा सकता, बन्दी को जेल में आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में प्रथम घटना- पूर्व में हुयी हत्या के बदले की रंजिश को लेकर दिनांक 04.09.1991 को बन्दी ने अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चों से गोली मारकर महेश चंद नामक व्यक्ति की हत्या कर दी तथा मृतक के पुत्र विकास का अपहरण कर गला दबाकर हत्या

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

व द्वितीय घटना- मुकदमेबाजी की पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 19.10.1990 को बन्दी ने अपने 11 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चे से गोली मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धविशेष बंदी अनिल पुत्र राम किशोर को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अनिल (बन्दी संख्या-16432) पुत्र श्री रामकिशोर, निवासी जनपद-मेरठ के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

सूर्य प्रकाश मिश्र

उप सचिव।

संख्या-892/2025/92(1)/22-2-2025 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

3- जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।

4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-892/2025/92/22-2-2025-17(99)/2025

दिनांक जुलाई, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अनिल पुत्र श्री रामकिशोर, जो पूढी, थाना-परीक्षितगढ, जनपद-मेरठ का निवासी है। प्रथम घटना-पूर्व में हुयी हत्या के बदले की रंजिश को लेकर दिनांक 04.09.1991 को बन्दी ने अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चों से गोली मारकर महेश चंद नामक व्यक्ति की हत्या कर दी तथा मृतक के पुत्र विकास का अपहरण कर गला दबाकर हत्या कर दी। द्वितीय घटना-मुकदमेबाजी की पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 19.10.1990 को बन्दी ने अपने 11 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चे से गोली मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु सिद्धदोष बन्दी को (1) सत्र परीक्षण संख्या-896/1993 में भा0द0वि0 की धारा-364, 302/34, 201 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, मा० न्यायालय एकादश अपर सेशन जज, मेरठ के आदेश दिनांक 26.02.2000 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा० उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। (2) सत्र परीक्षण संख्या-750/1995 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 302/149 में मा० न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-11, मेरठ के आदेश दिनांक 04.08.2012 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। प्रथम केस में बन्दी द्वारा दिनांक 05.12.2024 तक अपरिहार 29 वर्ष, 06 माह, 18 दिन तथा सपरिहार 37 वर्ष, 01 माह, 23 दिन की सजा भोगी गयी है। द्वितीय केस में बन्दी द्वारा दिनांक 05.12.2024 तक अपरिहार 17 वर्ष, 02 माह, 10 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष, 02 माह, 10 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा किया गया अपराध जो समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने तथा भागने से इन्कार नहीं किया जा सकता, बन्दी को जेल में आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में प्रथम घटना- पूर्व में हुयी हत्या के बदले की रंजिश को लेकर दिनांक 04.09.1991 को बन्दी ने अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चों से गोली मारकर महेश चंद नामक व्यक्ति की हत्या कर दी तथा मृतक के पुत्र विकास का अपहरण कर गला दबाकर हत्या व द्वितीय घटना- मुकदमेबाजी की पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 19.10.1990 को बन्दी ने अपने 11 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चे से गोली मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धविशेष बंदी अनिल पुत्र श्री रामकिशोर को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश मिश्र

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in